सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0(भारत)

Website :www.suksn.edu.in,Email Id: coe@suksn.edu.in

अतिमहत्वपूर्ण/अतिशीघ्र सूचना

पत्रांक–5807/सि0वि0वि0/सा0प्र0/2026 दिनांक 02 –09–2026

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी (परिसर)
सिद्धार्थ वि0वि0 कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

2–समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक
राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय
सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय– रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना हेतु निर्धारित मेरिट से 10 प्रतिशत कम अंकों वाली शहीद परिवारों की मेधावी छात्राएं तथा दिव्यांग एवं निराश्रित छात्राओं द्वारा निर्धारित प्रारूप पर विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक शासनादेश सं0 64/2026/563/सत्तर–4–2026–70–4002(001)/ 2/206 दिनांक 19 अगस्त, 2026 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2025–26 में समस्त स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप 5 प्रतिशत छात्राएं जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हों, इसके अतिरिक्त सामान्य मेधावी छात्राओं के लिए निर्धारित मेरिट से 10 प्रतिशत कम अंकों वाली शहीद परिवारों की मेधावी छात्राएं तथा दिव्यांग एवं निराश्रित छात्राओं को योजना में सम्मिलित किया गया है। उक्त श्रेणी के लाभार्थियों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर पूरित किये जाने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक निर्धारित प्रारूप पर छात्राओं का विवरण पूरित कर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः पूर्व में प्रेषित प्रारूप को पुनः संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा हैऐसे लाभार्थी जो शहीद परिवारों की मेधावी छात्राएं तथा दिव्यांग एवं निराश्रित छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप पर यथाशीघ्र पूरित कराने का कष्ट करें, जिससे रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने से पूर्व लाभार्थी हेतु उनका आवेदन पूरित किया जा सके। आवेदन अपूर्ण अथवा विलम्ब होने के कारण ऐसे अभ्यर्थी योजना से वंचित हो जायेंगे।

संलग्नक–उपर्युक्त विषयक शासनादेश एवं निर्धारित गूगल प्रारूप।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक– /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. समस्त संकायाध्यक्ष, सिद्धार्थ वि0वि0 कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. डॉ0 अविनाश प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी/जनसम्पर्क अधिकारी, सि0वि0वि0क0,सि0
4. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर अपलोड करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

परीक्षा नियंत्रक

शासनादेश संख्या-64/2026/563/सत्तर-4-2026-70-4002(001)/2/2025, दिनांक 19 अगस्त, 2026 का संलग्नक-1

शहीद परिवारों, दिव्यांग छात्राओं एवं निराश्रित छात्राओं की पात्रता का निर्धारण करते समय निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जायेगा :-

1. सशस्त्र सेना के तीनों सेनाओं (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) और अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में लिये जाने विषयक सैनिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 19 मार्च, 2018 में शहीद सैनिकों को निम्नवत परिभाषित किया गया है:-

परिभाषाएँ-

(क) शहीद (Battle Casualty) सैनिकों का तात्पर्य

सशस्त्र बल के तीनों सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों के कार्यकलाप के संबंध में सेवायोजित स्थायी/अस्थायी रूप से नियुक्त/कमीशण्ड आफीसर/सैनिक जो कर्तव्य पालन के दौरान देश की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, गोलाबारी, बैट्ल एक्सीडेन्ट, सीमा पर छुट-पुट/आतंकवादी घटनाओं तथा अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, प्राकृतिक आपदा एवं वाहन दुर्घटना के दौरान शहीद हुए हैं।

अथवा

(ख) कर्तव्य पालन के दौरान बिन्दु (क) पर वर्णित घटनाओं के समय ऐसे लापता शहीद जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत घोषित किया गया हो।

(ग) शहीद के आश्रितों के अन्तर्गत वरीयता क्रम में

शहीद सैनिक के विवाहित होने की स्थिति में शहीद सैनिक की पत्नी, विधवा पुत्रवधू, अविवाहित पुत्रियां, कानून संगत दत्तक पुत्रियाँ, माता आश्रित की श्रेणी में मानी जायेंगी परन्तु उक्त आश्रितों के शारीरिक/मानसिक अनुपयुक्तता की स्थिति में आश्रित अविवाहित पौत्रियां आश्रित की श्रेणी में मानी जायेंगी।

शहीद सैनिक के अविवाहित होने की स्थिति में शहीद सैनिक की माता, अविवाहित बहन आश्रित की श्रेणी में मानी जायेंगी।

2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-2 द्वारा निर्गत निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने की नियमावली, 2020 दिनांक 22 जनवरी, 2020 में पात्र "दिव्यांगजन" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, संबंधित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो।

3. निराश्रित छात्राओं से तात्पर्य ऐसी छात्राओं से होगा जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो तथा परिवार में भरण-पोषण करने वाला कोई अन्य सदस्य न हो।

Digitally signed by
RAM JANAM CHAUHAN
Date: 19-08-2026
18:04:33